भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 723

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप्स के लिए इन्क्यूबेटर्स

723. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप और उद्योग भागीदारी के लिए इन्क्यूबेटर्स स्थापित करने में सरकार के प्रयास का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों और प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा संचालित ऐसे इन्क्यूबेटर्स की झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित नवोन्मेषी व्यावसायिक विचारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख) :स्टार्टअप इंडिया एक पहल है, न कि एक स्कीम है। सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु एक सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना का शुभारंभ करते हुए, 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की है।

स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शैक्षणिक क्षेत्र की साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों की 19 कार्य मदें शामिल हैं। इन्क्यूबेशन परिदृश्य के विकास और वृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा स्टार्टअप्स के लिए उद्योग भागीदारी हेतु, स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये गए हैं। सरकार द्वारा क्रियान्वित ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, सरकार के सतत प्रयासों से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1,17,254 हो गई है। इन मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा 12.42 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन संसूचित किया गया है।

(ग) और (घ) : स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार पात्र इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से प्रारंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) को लागू कर रही है। एसआईएसएफएस को 945 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ वर्ष 2021-22 से 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। एसआईएसएफएस के तहत, विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) स्कीम के तहत निधि के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है। अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टार्टअप्स का चयन करते हैं।

31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, एसआईएसएफएस के तहत, ईएसी द्वारा 198 इन्क्यूबेटर्स का चयन किया गया है। एसआईएसएफएस के अंतर्गत, अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स का झारखंड राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, एसआईएसएफएस के अंतर्गत अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स ने 306.43 करोड़ रुपए की कुल अनुमोदित राशि हेतु 1,740 स्टार्टअप्स का चयन किया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 07.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 723 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

इन्क्यूबेशन परिदृश्य के विकास एवं वृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा स्टार्टअप्स के लिए उद्योग भागीदारी हेतु, देश में स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. **स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना:** स्टार्टअप इंडिया के लिए 16 जनवरी, 2016 को एक कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस कार्य योजना के अंतर्गत "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण समर्थन और प्रोत्साहन" और "उद्योग-अकादमिक क्षेत्र साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैली 19 कार्य मदें शामिल हैं। इस कार्य योजना ने देश में एक ऊर्जावान स्टार्टअप इकोसिस्टम के सृजन के लिए सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी।
2. **स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह:** स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह का शुभारंभ 16 जनवरी, 2021 को किया गया, जिसमें स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई योग्य योजना, विभिन्न सुधारों को लागू करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों का क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाना शामिल है।
3. **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) :** किसी उद्यम के विकास के आरंभिक स्तरों पर उद्यमों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। इस स्तर पर अपेक्षित पूंजी, बेहतर व्यवसाय आइडिया वाले स्टार्टअप्स के लिए बने रहने या समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इस स्कीम का उद्देश्य संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से आरंभ करके 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के अतंर्गत 945 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।
4. **स्टार्टअप्स के लिए निधियों की निधि (एफएफएस) स्कीम:** सरकार ने स्टार्टअप्स की निधियन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ एफएफएस स्थापित किया है। डीपीआईआईटी एफएफएस की मानीटरिंग एजेंसी है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसकी प्रचालन एजेंसी है। 10,000 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस को स्कीम की प्रगति और निधि की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न सिर्फ प्रारंभिक चरण में, शुरुआती स्तर और विकास स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है बल्कि घरेलू पूंजी एकत्र करने की सुविधा के संदर्भ में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम किया है और घरेलू रूप से विकसित और नए वेंचर कैपिटल फंडों को बढ़ावा दिया है।
5. **स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) :** सरकार ने सेबी द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेट फंड्स (वीडीएफ़) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य, पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।
6. **विनियामक सुधार:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, पूंजी जुटाने को आसान बनाने और स्टार्टअप परिवेश पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2016 से सरकार ने 55 से अधिक विनियामक सुधार किए हैं।
7. **अधिप्राप्ति को आसान बनाना:** अधिप्राप्ति को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान करें। इसके अलावा, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम), सरकार द्वारा स्टार्टअप्स से उत्पादों और सेवाओं की खरीद की सुविधा को भी बढ़ावा देता है।
8. **बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता:** स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) की शुरुआत की है जो स्टार्टअप्स को पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के जरिए उपयुक्त आईपी कार्यालयों में केवल सांविधिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट डिजाइन तथा व्यापार चिह्न के लिए आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर संबंधी सामान्य परामर्श तथा अन्य देशों में आईपीआर का संरक्षण एवं संवर्धन करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार पेटेंट, व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं के पूरे शुल्क को वहन करती है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो तथा स्टार्टअप्स केवल देय सांविधिक शुल्क की लागत को वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने में 80 प्रतिशत की छूट तथा व्यापार चिह्न फाइल करने में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

9. **स्टार्टअप इंडिया हब :** सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब का शुभारंभ किया है, जो भारत में उद्यमिता परिवेश के सभी हितधारकों के लिए अपनी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि वे एक-दूसरे का पता लगा सकें, परस्पर जुड़ सकें और मिलकर कार्य कर सकें। यह ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंड्स, मेंटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, इन्क्यूबेटर्स, कार्पोरेट, सरकारी निकायों और अन्य को होस्ट करता है।
10. **भारतीय स्टार्टअप्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच:** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक, विभिन्न संपर्क मॉडलों के जरिए भारतीय स्टार्टअप परिवेश को वैश्विक स्टार्टअप परिवेशों के साथ जुड़ने में मदद करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से सरकार से सरकार के बीच भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी तथा वैश्विक समारोहों के आयोजन के जरिए किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने लगभग 20 देशों के साथ संपर्क स्थापित किया है, जो भागीदार राष्ट्रों के स्टार्टअप्स के लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।
11. **स्टार्टअप इंडिया शोकेस :** स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित विभिन्न स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए, देश के सर्वाधिक संभावना वाले स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शाए गए स्टार्टअप अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम स्टार्टअप के रूप में उभरे हैं। ये नवप्रयोग, अन्य के साथ-साथ फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सामाजिक प्रभाव, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों से हैं। इन स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया है और अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट नवप्रयोग दर्शाया है। परिवेश संबंधी हितधारकों ने इन स्टार्टअप को पोषित किया है और सहायता प्रदान की है और इस प्रकार इस प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति के महत्व को रेखांकित किया है।
12. **राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद :** सरकार ने देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त परिवेश के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी, 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद को अधिसूचित किया ताकि सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त इस परिषद में कई गैर-सरकारी सदस्य हैं, जो स्टार्टअप परिवेश के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
13. **राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए):** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेबलर्स की पहचान करने और पुरस्कृत करने की पहल है, जो अभिनव उत्पादों या समाधानों और विस्तारयोग्य उद्यमों का विकास कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन या संपतति सृजन की अत्यधिक क्षमता है और जो माप-योग्य सामाजिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। सभी अंतिम प्रतिभागियों को विभिन्न मामलों यथा निवेशक कनेक्ट, मेंटरशिप, कार्पोरेट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस आदि के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है।
14. **राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ):** यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप परिवेश बनाने के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनी तरह की पहली पहल है। रैंकिंग करने का प्रमुख उद्देश्य, बेहतर कार्य पद्धतियों की पहचान करने, उनसे सीखने और दोहराने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा किए गए नीतिगत कार्यकलापों पर प्रकाश डालने और सर्वोत्तम स्टार्टअप परिवेश तैयार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
15. **दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन:** दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला स्टार्टअप चैंपियन कार्यक्रम, एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है, जिसमें पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर के मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की कहानियों को कवर किया जाता है। इसे दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर हिन्दी और अंग्रेज़ी में प्रसारित किया गया है।
16. **स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह:** सरकार, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह का आयोजन करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, निधीयन इकाइयों, बैंकों, नीति निर्माता और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमियता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह में एक साथ लाना है।
17. **स्टार्टअप इंडिया इनवेस्टर कनेक्ट पोर्टल** जिसे सिडबी के साथ मिलकर स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है, एक अंतर्वर्ती प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो स्टार्टअप्स और निवेशकों को आपस में जोड़ता है ताकि विभिन्न उद्योगों, संचालनों, स्तरों, क्षेत्रों तथा पृष्ठभूमि से जुड़े उद्यमियों को पूंजी एकत्र करने में सहायता प्रदान कर सके। इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य, विशेष रूप से देश में किसी भी स्थान पर स्थित शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स को अग्रणी निवेशकों/वेंचर कैपिटल फंड के समक्ष खुद को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है।
18. **नेशनल मेंटरशिप पोर्टल (मार्ग):** देश के सभी हिस्सों में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप की उपलब्धता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मेंटरशिप, परामर्श, सहायता, सुदृढ़ीकरण और विकास (मार्ग) कार्यक्रम का विकास और शुभारंभ किया गया है।

*****

अनुबंध-II

दिनांक 07.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 723 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एसआईएसएफएस के अंतर्गत, अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स का झारखंड राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इन्क्यूबेटर्स की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	6
2	असम	2
3	बिहार	4
4	छत्तीसगढ़	2
5	दिल्ली	11
6	गोवा	4
7	गुजरात	20
8	हरियाणा	5
9	हिमाचल प्रदेश	3
10	जम्मू और कश्मीर	1
11	झारखंड	1
12	कर्नाटक	19
13	केरल	5
14	मध्य प्रदेश	6
15	महाराष्ट्र	28
16	मिजोरम	2
17	नगालैंड	2
18	ओडिशा	10
19	पुदुचेरी	2
20	पंजाब	9
21	राजस्थान	11
22	सिक्किम	1
23	तमिलनाडु	20
24	तेलंगाना	11
25	उत्तर प्रदेश	10
26	उत्तराखंड	2
27	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	**198**

*****